मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

२. धारा २ का स्थापन.

३. धारा ३ का स्थापन.

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

४. धारा ३ का संशोधन.

५. धारा ४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ एवं मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

धारा २ का स्थापन. **२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—**

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन. **"२. अध्यक्ष को सैंतालीस हजार रुपये तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.**

धारा ३ का स्थापन. **३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—**

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता. **"३. (१) अध्यक्ष को अड़तालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.**

(२) अध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

धारा ३ का संशोधन ४. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "सत्ताईस हजार" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस हजार" स्थापित किए जाएं.